(वाद संख्या–2004/4/39/2019)

19.01.2022

परिवादी, गीता प्रकाश तथा अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, श्री संजय कुमार निराला, उपस्थित है।

परिवादी, गीता प्रकाश तथा अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, श्री संजय कुमार निराला, को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, गीता प्रकाश सहित जिला परिषद्, वैशाली के सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवांत लाभ एवं ए0सी0पी0 लाभ के बकाया राशि के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली के प्रतिवेदनानुसार परिवादी सहित जिला परिषद्, वैशाली के सेवानिवृत कर्मियों को उपादान एवं अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अपने प्रतिवेदन में उनकी ओर से उपरोक्त भुगतान से संबंधित 25 सेवानिवृत कर्मियों के भुगतान की विस्तृत विवरणी दी गयी है। प्रतिवेदनानुसार उपदान एवं अर्जित अवकाश की राशि के अतिरिक्त जिला परिषद्, वैशाली के कर्मियों को अन्य सेवांत लाभ का भी भुगतान किया जा चुका है। सेवानिवृत कर्मियों को ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि पूर्व में जिला परिषद्, वैशाली के कर्मियों को ए0सी0पी0 की सुविधा नहीं प्रदान की गयी थी। वर्त्तमान में जिला परिषद्, वैशाली के कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मियों को ए0सी0पी0 का लाभ देने हेतु विभागीय आदेश के आलोक में कार्रवाई की जा रही है जिसके उपरांत ए0सी0पी0 का लाभ सुयोग्य सभी कर्मियों को दे दिया जायेगा।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि अभी भी जिला परिषद्, वैशाली के सेवा निवृत कर्मियों को पंचम एवं षट्म वेतन आयोग की अन्तर राशि का भुगतान नहीं किया गया है साथ ही साथ ग्रुप बीमा राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है।

आज सुनवाई के क्रम में श्री निराला द्वारा परिवादी के उपरोक्त कथन का प्रतिवाद किया गया। उनका कथन है कि लगभग सभी सेवानिवृत कर्मियों को ग्रुप बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। एक–दो मामलों में कुछ त्रुटि के कारण भुगतान लंबित है। उन्होंने राज्य आयोग को आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र उन त्रुटियों का निराकरण कर सभी सेवानिवृत कर्मियों के उनके ग्रुप बीमा राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

राज्य आयोग द्वारा उपस्थित परिवादी, गीता प्रकाश से ग्रुप बीमा राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी चाही गयी तो उनके द्वारा सूचित किया कि उन्हें ग्रुप बीमा राशि का भुगतान हो चुका है, लेकिन करीब पांच कर्मियों का भुगतान अभी भी बाकी है।

अब, जबकि परिवादी सहित जिला परिषद्, वैशाली के अधिकांश सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य सेवांत लाभों का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष बचे कर्मियों को उनके ग्रुप बीमा राशि के शीघ्र भुगतान करने के संबंध में उपस्थित अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली द्वारा राज्य आयोग को आश्वासन दिया जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक